

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 238/2024

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2024/285

प्रार्थी  
आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक  
लिमिटेड सैकिण्ड प्लोर,  
मानउपासना प्लाजा, सरदार  
पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच.एस.  
बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर  
जरिये अधिकृत अधिकारी ऑंचल  
शर्मा

बनाम

अप्रार्थीगण

- 1- RAJESH SHARMA  
ADDRESS PATTA NO. 73, MISSAL NO.  
50/71 72, GRAM MERTA  
ROAD, DISTT. NAGOUR, RAJASTHAN  
341511.  
ALSO AT JARODA ROAD, MATESHVARI  
COLONY, NAGOUR, RAJASTHAN 341511  
ALSO AT: C/O. MANSI CHOICE, SHOP  
NO. 5, LADHO KI POL KE PASS, SARDA  
BAJAR, MERTA CITY, NAGOUR,  
RAJASTHAN 341510
- 2- OMPRAKASH AMAR  
ADDRESS PATTA NO. 73, MISSAL NO.  
50/71, 72, GRAM MERTA ROAD, DISTT.  
NAGOUR, RAJASTHAN 341511 ALSO AT  
MATAJI COLONY, MERTA COLONY,  
NEAR MERTA ROAD, NAGOUR  
RAJASTHAN 341511
- 3- KRISHAN MURARI  
ADDRESS PATTA NO. 73, MISSAL NO.  
50/71 72, GRAM MERTA ROAD, DISTT.  
NAGOUR, RAJASTHAN 341511 ALSO AT  
JARODA ROAD, MATESHVARI COLONY,  
NAGOUR, RAJASTHAN 341511 ALSO AT:  
C/O. MANSI CHOICE, SHOP NO. 5,  
LADHO KI POL KE PASS, SARDA BAJAR,  
MERTA CITY, NAGOUR, RAJASTHAN  
341510 YUGAL KISHOR SHARMA.  
ADDRESS PATTA NO. 73, MISSAL NO.  
50/71 72, GRAM MERTA ROAD, DISTT.  
NAGOUR, RAJASTHAN 341511 ALSO AT  
JARQDA ROAD, MATESHVARI COLONY,  
NAGOUR, RAJASTHAN 341511

आदेश

दिनांक: 12/12/2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रुपये 30,00,000/- (अक्षरे तीस लाख रुपये मात्र) दिनांक 23.03.2022 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के स्वयं में सम्पत्ति - PATTA NO. 73, MISSAL NO. 50/71, 72, GRAM MERTA ROAD, MATESHVARI COLONY, DISTT. NAGOUR, RAJASTHAN 341511 TOTAL AREA 2400 SQ.FT. East- Rasta & Thala of Munnilal Ji Sharma, West- Rasta & Thala of Govind Ram Ji, North Gali & Thala of Bhikhamchand & South Gali & Thala of Ramniwas है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 02.05.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 29,10,460.24/- (अक्षरे उन्तीस लाख दस हजार चार सौ साठ रुपये चौबीस पैसे मात्र) आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 29.05.2024 को प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थीगण को व्यक्तिशः दिया जाकर उक्त नोटिस की प्राप्ति की रसीद नोटिस पर ली गई, धारा 13 (2) के नोटिस का हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में दिनांक 16.06.2024 को प्रकाशन भी करवाया गया, परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 29,10,460.24/- (अक्षरे उन्तीस लाख दस हजार चार सौ साठ रुपये चौबीस पैसे मात्र) आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण - PATTA NO. 73, MISSAL NO. 50/71, 72, GRAM MERTA ROAD, MATESHVARI COLONY, DISTT. NAGOUR, RAJASTHAN 341511 TOTAL AREA 2400 SQ.FT.. East- Rasta & Thala of Munnilal Ji Sharma, West-Rasta & Thala of Govind Ram Ji, North Gali & Thala of Bhikhamchand & South Gali & Thala of Ramniwas है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 30,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रुपये मात्र) दिनांक 23.03.2022 को ऋण सुविधा प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति — PATTA NO. 73, MISSAL NO. 50/71, 72, GRAM MERTA ROAD, MATESHVARI COLONY, DISTT. NAGOUR, RAJASTHAN 341511 TOTAL AREA 2400 SQ.FT.. East- Rasta & Thala of Munnilal Ji Sharma, West-Rasta & Thala of Govind Ram Ji, North Gali & Thala of Bhikhamchand & South Gali & Thala of Ramniwas है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करें कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उसे दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें। आदेश सुनाया गया।



(अरुण कुमार पुरोहित)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर